न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 149/2019

वादी :– बुधाराम गोद पुत्र श्री धर्माराम, जाति जाट, निवासी लूणियास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धर्माराम पुत्र श्री मीसाराम, जाति जाट, निवासी लुणियास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता।
3. पटवारी हल्का, बड़गांव

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

निर्णय दिनांक :– 26/11/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री महिपाल चौधरी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पिता–पुत्र है, दोनों हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है तथा स्व. मीसाराम जी के वारिसान है। मौजा ग्राम लूणियास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 483 रकबा 0.1600 हैक्अेयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 802 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 805 रकबा 1.8000 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9800 हैक्टेयर की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त काश्त व कब्जासुद स्थित है। उक्त खसरा की भूमि वाद में आगे विवादित खसरा के नाम से संबोधित की जायेगी। प्रतिवादी संख्या 1 के कोई जायन्दा संतान उत्पन्न नही हुई। जिससे प्रतिवादी व उसकी पत्नी श्रीमती चन्द्रकी ने सम्वत् 2054 में मिति माघसुदी 11 को वादी को गोद लिया तथा गोद लेने व देने की रस्म गिविंग एण्ड टेकिंग सेरेमनी सम्पन्न की तथा वादी के हक में दिनांक 30.10.2001 को गोदनामा का पंजीयन करवाया। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

वादी, प्रतिवादी संख्या 1 का गोदपुत्र है। वादी की माता चन्द्रकी का स्वर्गवास दिनांक 24.01.2017 को हो चुका है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के दादा मीसाराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। मीसाराम जी के स्वर्गवास के बाद वाददस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक व अधिकार है। गोद के दिन से ही प्रतिवादी संख्या 1 की समस्त चल व अचल सम्पति में वादी को प्राकृतिक पुत्र जैसे अधिकार प्राप्त हो गये। प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध है तथा लकवाग्रस्त है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 चलने–फिरने की स्थिति में नही है तथा काश्त कार्य करने में सक्षम नही है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि वादी को बंट में दे दी है तथा वादी का काश्त व कब्जा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध है तथा गम्भीर बीमार है, जो लोगों की सिखावट में है तथा वादी को उसके हकों से महरूम करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगों की सिखावट में आकर भूमि को खुर्द–बुर्द कर सकता है। जिससे यह दावा पेश है। वादग्रस्त खसरा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। जिसमें वादी को पैतृक हक व अधिकार प्राप्त है तथा वादग्रस्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि पर काश्त व कब्जा वादी का ही है। प्रतिवादी संख्या 1 काश्त नही करता है तथा वृद्ध व बीमार है। इसलिये वादग्रस्त खसरा की भूमि वादी की खातेदारी की घोषित की जावें तथा राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी के खातेदारी दर्ज की जावें। जिस हेतु यह दावा पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्ध व लकवाग्रस्त होने से विवादित खसरा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी विवादित खसरा पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है तथा न ही राजकाज का कार्य कर पा रहा है। जिससे वादी को उक्त भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदारी अपने नाम घोषित करवाना आवश्यक होने से यह वाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से बंटवाड़ा के दावा में आवश्यक पक्षकार होने एवं प्रतिवादी संख्या 3 राजस्व रेकर्ड का संधारण करने से उसे प्रतिवादीगण बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 11 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 03.10.2001 गोद लेने वाले धर्माराम एवं चन्द्रकी गोद जाने वाला श्यामाराम पुत्र सुखाराम, मौजा लुणियास की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 118, मृत्यु प्रमाण पत्र चन्द्रकी देवी, बुधाराम का आधार कार्ड, बुधाराम का राशन कार्ड, बुधाराम का पेन कार्ड की प्रतियां तथा वादी बुधाराम व प्रतिवादी धर्माराम का शपथपत्र पेश किया।
3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सियाराम कमेड़िया ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.09.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।
4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6.(क) **वादी बुधाराम के बंट में :—** मौजा ग्राम लूणियास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 483 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

484 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 802 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 805 रकबा 1.8000 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9800 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.05 12:58:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: